

राजस्थान विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 6 फरवरी, 2014

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

मेजर ओ.पी.यादव, सदस्य, तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनायें

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

राजस्व विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.16(1)राज-6/2004/7 दिनांक 8.2.2013, जिसके द्वारा श्री पूरनचंद महेरडा को उपखण्ड सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित भू-आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.9(112)राज-6/12/8 दिनांक 20.2.2013, जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों के प्रभारी अधिकारियों को कतिपय अधिसूचनाओं के द्वारा शक्तियां/शिथिलता प्रदान की गई है ;
- 3- अधिसूचना संख्या:एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/9 दिनांक 20.2.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या:एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/10 दिनांक 1.3.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या:एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/11 दिनांक 13.5.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या:एफ.6(24)राज-6/2001/पार्ट/12 दिनांक 12.6.2013, जिसके द्वारा आज्ञा क्रमांक:एफ.2(244)राज/गुप-3/73 दिनांक 23.1.1974 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया गया है ;

- 7- अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)राज-6/2005/13 दिनांक 20.6.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, डिस्पेंसरियों, धर्मशालाओं और अन्य लोकोपयोगी निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमियों के आवंटन) नियम, 1963 के खण्ड-3 के उपखण्ड (II) में भूमि आवंटन की दरों में संशोधन किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या:एफ.6(2)राज-6/2001/14 दिनांक 1.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत आधारित पावर प्लान्ट स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 9- अधिसूचना संख्या:एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/15 दिनांक 8.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 10- अधिसूचना संख्या:एफ.6(14)राज-4/81/पार्ट/16 दिनांक 10.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धाराओं के अन्तर्गत श्री रतनलाल ताम्बी को 4 वर्ष के लिये राजस्थान भू-दान यज्ञ बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है ;
- 11- अधिसूचना संख्या:एफ.6(24)राज-6/2001/17 दिनांक 15.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6(3) के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के कतिपय क्षेत्रों को लवणीय क्षेत्रों से वापस लिया गया है ;
- 12- अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)राज-6/05पार्ट/18 दिनांक 5.8.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, डिस्पेंसरियों, धर्मशालाओं और अन्य सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के खण्ड-1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित भूमि को छोड़कर राजकीय विभागों को राज्य सरकार के अनुमोदन बिना आवंटन हेतु आवंटन अधिकारियों को दिनांक 31.3.2014 तक अधिकृत किया गया है ;
- 13- अधिसूचना संख्या:एफ.6(7)राज-6/95/19 दिनांक 23.8.2013, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी (प्रशिक्षु) सुश्री अनुपमा जोरवाल को अलवर जिले में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त किया गया है ;
- 14- अधिसूचना संख्या:एफ.6(24)राज-6/01/20 दिनांक 18.9.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6(3) के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के ग्राम सांभरा के विभिन्न खसरों को लवणीय क्षेत्रों से वापस लिया गया है ;
- 15- अधिसूचना संख्या:एफ.6(4)राज-6/2001/21 दिनांक 20.9.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, डिस्पेंसरियों, धर्मशालाओं और अन्य सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के खण्ड-2 एवं 3 में संशोधन किया गया है ;

- 16- अधिसूचना संख्या:एफ.2(4)राज-6/2001/22 दिनांक 26.9.2013, जिसके द्वारा ग्रामदानी गांव भागू का गांव, जिला-जैसलमेर में विभिन्न खसरों को ग्राम सभा के प्रबन्धन से निर्निहित करती है ;
- 17- अधिसूचना संख्या:एफ.9(79)राज-6/2011/23 दिनांक 3.10.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त भूमि आवंटन) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;
- 18- अधिसूचना संख्या:एफ.6(12)राज/06/99/पार्ट/24 दिनांक 3.10.2013, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.6(12)राज-6/99/पार्ट/23 दिनांक 13.10.2005 में संशोधन किया गया है ;
- 19- अधिसूचना संख्या:एफ.6(2)राज-6/2001/25 दिनांक 4.10.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित पावर प्लान्ट स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 20- अधिसूचना संख्या:एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/26 दिनांक 4.10.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ।

(II) श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

ऊर्जा विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनि 97 दिनांक 10.5.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (मीटरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 विरचित किये गये हैं ;
- 2- अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनि 98 दिनांक 4.6.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनि 99 दिनांक 5.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनियम 100 दिनांक 8.8.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा संबंधित मामले) (दशम् संशोधन) विनियम, 2013 विरचित किये गये हैं ;
- 5- अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनियम 101 दिनांक 28.10.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य का सम्पादन) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 6- अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनियम 102 दिनांक 11.11.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (याचिकाओं हेतु शुल्क)(सातवां संशोधन) विनियम, 2013 विरचित किये गये हैं।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, दी वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे।

(III) श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे।

4. विधायी कार्य

(अ) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान वन (संशोधन)
विधेयक, 2014

"राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(2014 का विधेयक संख्या-7)

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(2) माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014

(I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा
(सिरोही) विधेयक, 2014

"राजस्थान राज्य में माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(2014 का विधेयक संख्या-3)

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-29) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(3) पेंसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

पेंसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उदयपुर विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-6)

"राजस्थान राज्य में पेंसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत पेंसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-28) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(4) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम
परिवर्तन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-8)

"बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने और बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(5) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम
परिवर्तन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-9)

"मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम परिवर्तन करने और मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(6) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-10)

"शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम परिवर्तन करने और शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014

- (I) श्री हेमसिंह भड़ाना, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-5)

"कतिपय माल में उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिये, जनसाधारण के हित में उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

- (I) श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-1)

"कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम परिवर्तन करने और कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014

- (I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान सुनवाई का अधिकार
(संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-2)

"राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

आई.आई.एच.एम.आर.
विश्वविद्यालय, जयपुर
विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-4)

"राजस्थान राज्य में आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर की अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

5. आधे घण्टे की चर्चा

डॉ० किरोडीलाल, सदस्य, विधान सभा के बजरी खनन लीजधारकों से समझौता विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 18(259/खान) का उत्तर, जो दिनांक 27 जनवरी, 2014 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर श्री मानिक चन्द सुराना एवं डॉ० किरोडीलाल, सदस्य विधान सभा आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे ।

प्रदीप कुमार शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 5 फरवरी, 2014